

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 09.02.2021 द्वारा श्रीमती सुनीता दायमा, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटगेट, एम.एस.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि डिकोलिया, उनियारा जिला टोंक किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध श्रीमती सुनीता दायमा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1203/2021 सुनीता दायमा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 1203/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.02.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 9.02.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी श्रीमती सुनीता दायमा के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम स्थगनादेश की अनुपालना में श्रीमती सुनीता दायमा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटगेट, एम.एस.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री पुखराज आर्य का अन्तरिम समायोजन राउमावि डिकोलिया, उनियारा जिला टोंक में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन माननीय अधिकरण के अपील में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/सुनीता दायमा/1203/2021/219 दिनांक: 26.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/टोंक।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/टोंक।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)